रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310] नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 2011/ज्येष्ठ 23, 1933

No. 310] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 13, 2011/JYAISTHA 23, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2011

सा.का.नि. 446(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (पाचवां संशोधन) नियम 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची I में,

(i) क्रम संख्या 71, 'नाशकजीवमार उद्योग' के संबंध में तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ii) क्रम संख्या 101, 'नाशकजीवमार उद्योग के लिए भस्मित्र संयंत्र' के संबंध में तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; और

(iii) क्रम संख्या 40, 'नाशकजीवमार विनिर्माण और सूत्रण उद्योग' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"40	नाशकजीवमार उद्योग	**क. उत्सर्जन मानक**	
			सान्द्रण सीमा मि.ग्रा./नार्मल घनमीटर
		HCl	20
		Cl_2	5
		H_2S	5
		P_2O_5, H_3PO_4 के रुप में	10
		NH_3	30

1)	(2)	(3)		(4)
		विविक्त कणों के रूप में नाशकजीवमार यौगिक		20
		CH_3Cl		20
		HBr		5
		ख. बहिस्राव मानक		
				pH और जैव निर्धारण परीक्षण को सीमा छोडकर सान्द्रण मि.ग्रा./ली. में
		(1) अनिवार्य पैरामीटर		
		pH		6.5-8.5
		BOD, 3 दिन, 27^0 सेल्सियस पर	विनिर्मिति इकाई	30
			तकनीकी इकाई	100
		तेल और ग्रीस		10
		निलम्बित ठोस कण		100
		जैव निर्धारण परीक्षण		100 प्रतिशत बहिस्राव में 96 घंटे के बाद 90 प्रतिशत मछलियां जीवित
		(2) अतिरिक्त पैरामीटर		
		आर्सेनिक (As के रूप में)		0.2
		ताँबा		1.0
		मैंग्निज		1.0
		पारद		0.01
		एन्टीमनी (Sb के रूप में)		0.1
		जस्ता		1.0
		निकिल, इत्यादि (व्यष्टिक रुप में भारी धातुएं)		भारतीय मानक ब्यूरों के पेयजल मानकों के अनुसार वैयक्तिक रुप से पॉच बार से अधिक नहीं
		साइनाइड (CN के रूप में)		0.2
		नाइट्रेट (NO_3 के रूप में)		50
		फास्फेट (P के रूप में)		5.0
		फिनॉल एवं फिनॉलिक योगिक C_6H_5 OH के रूप में		1.0

(1)	(2)	(3)	(4)
		गन्धक	0.03
		बेन्जीन हेक्साक्लोराइड (BHC)	0.01
		कारबोनाइल	0.01
		कॉपर सल्फेट	0.05
		कॉपर ऑक्सीक्लोराइड	9.6
		डी.डी.टी.	0.01
		डाइमेथोएट	0.45
		2,4 डी	0.4
		एन्डोसल्फान	0.01
		फेनिटोथ्रीऑन	0.01
		मैलाथियान	0.01
		मिथाइल पेराथियन	0.01
		पैराक्वाइट	2.3
		फेनाथोएट	0.01
		फोरेट	0.01
		प्रोपेनिल	7.3
		पायरीथ्रमस	0.01
		जीरम	1.0
		अन्य नाशकजीवमार (व्यष्टिक रुप में)	0.10
		जैव निर्धारण परीक्षण IS: 6582-1971 के अनुसार संचालित किया जाएगा । टिप्पण: 1. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति प्राप्य जल निकायों की उर्ध्वप्रवाह धारा जिसमें बहिस्राव का निपटान किया जाएगा, में जल उपयोग के आधार पर कुल घुलनशील ठोस (TDS), सल्फेट और क्लोराइड की सीमा निर्धारित कर सकती हैं । 2. रासायनिक आक्सीजन मांग (COD) की कोई सीमा विहित नहीं है, किन्तु उपचारकृत बहिस्राव में इसको मॉनीटर किया जाएगा । यदि शोधित बहिस्राव में COD का स्तर 250 मि.ग्रा./लीटर से अधिक अवस्थित है, तो ऐसे बहिस्राव का प्रवाह करने वाली औद्योगिक इकाइयों से 250 मिली ग्राम/ लीटर COD कारित करने वाले रसायनों की पहचान करना अपेक्षित है । यदि ये कारक परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, संग्रहण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची-। में निर्धारित की गई विषालुता की क्षेणी में पाये जाते हैं, तो संबंधित राज्य बोर्ड /प्रदूषण नियंत्रण समिति ऐसे मामलों में उद्योगों को 31 दिसम्बर, 2012 तक तृतीयक अवजल	

(1)	(2)	(3)			(4)
		उपचार प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दे सकते हैं । 3. "अतिरिक्त पैरामीटरों" के रुप में सूचीबद्व पैरामीटरों को मामला दर मामला आधार पर प्रक्रिया और उत्पाद के आधार पर विहित किया जाएगा ।			
		ग. भस्मित्र के उर्त्सजन मानक			
				जब तक कथित न हो सान्द्रण सीमा मि.ग्रा./ नार्मल घन मीटर तक समिति	जब तक कथित न हो, सेम्पलिंग अवधि मिनटों में
		विविक्त कण		50	30 अथवा अधिक (लगभग 300 लीटर उर्त्सजन की सेम्पलिंग)
		HCl		50	30
		SO_2		200	30
		CO		100	दैनिक औसत
		कुल जैविक कार्बन		20	30
		कुल डायक्सीन एवं फूरॉन्स*	मौजूदा भस्मित्र संयंत्र	0.2 ng TEQ/Nm^3	8 घंटे
			नयू भस्मित्र संयंत्र	0.1 ng TEQ/Nm^3	8 घंटे
		Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni +V **और उनके यौगिक**		1.5	2 घंटे
		* विधमान भस्मित्र संयंत्र 18 अगस्त, 2013 से डायक्सीन और फूरॉन्स के लिए 0.1 ng TEQ/Nm^3 के मानकों का अनुपालन करेंगे । टिप्पण: 1. सभी प्रबोधन किए गए मानो को शुष्क आधार पर 11 प्रतिशत आक्सीजन तक ठीक किया जाय । 2. उत्सर्जित गैस में CO_2 की सान्द्रता 7 प्रतिशत से कम से कम नहीं होगी ।			

(1)	(2)	(3)	(4)
		3. अपशिष्ट में हेलोजिनेटिड जैविक अपशिष्ट का भार एक प्रतिशत से कम होने की स्थिति में एकल चैम्बर अपशिष्ट का भार एक प्रतिशत से कम होने की स्थिति में एकल चैम्बर भस्मीकरण की सभी सुविधाओं को 1100^0 सेंटीग्रेड के न्यूनतम तापमान को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाएगा । फ्लूडाइजड बैड टेक्नालाजी भस्मित्र संयंत्र में तापमान 950^0 सेंटीग्रेड रखा जाएगा । 4. अपशिष्ट में हेलोजिनेटिज जैविक अपशिष्ट, वजन में 1% से अधिक होने पर केवल दो चैम्बर वाले भस्मित्र संयेत्र में अपशिष्ट का भस्मित्र किया जाएगा तथा प्राइमरी चैम्बर में 850 ± 25^0 सैंटीग्रेड और सेकेन्डरी कम्बशन चैम्बर में 1100^0 सैंटीग्रेड न्यून्तम तापमान बनाए रखा जा सके जिसके लिये सेकेण्डरी कम्बशन चैम्बर में गैस अवरोध समय दो सेकेण्ड से कम नहीं रहेगा । 5. भस्मित्र संयंत्र के उत्सर्जन मार्जन के लिए जो मार्जक हैं, उनका उपयोग क्वेन्चर के रूप में नहीं किया जाएगा। 6. भस्मित्र संयंत्र (कम्बशन चैम्बर्स) को ऐसे तापमान, अवरोधन समय और उथल-पुथल के साथ चलाया जाएगा ताकि अपशिष्ट और भस्मीकरण राख में कुल जैविक कार्बन (TOC) यौगिक 3% से कम हो और इसकी भस्मीकरण क्षय की मात्रा शुष्क आधार पर 5% से कम हो । गैर-अनुपालन के मामले में राख और अपशिष्ट का दुबारा भस्मीकरण किया जाएगा। 7. भस्मित्र संयंत्र के लिए चिमनी कम से कम तीस मीटर उंची होगी।	
		घ. भस्मित्र से बहिस्राव	
		टिप्पण: (1) अपजल (मार्जक और तल धुलाई) से उत्पन्न बहिस्राव ढकी हुई नाली या पाइप नेटवर्क के माध्यम से बहाया जाएगा और इसका शोधन पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन अधिसूचित पर्यावरण प्रदूषकों के विसर्जन के लिए सामान्य मानक (भाग-क: बहिस्राव) के साथ ऊपर भाग 'ख' में उल्लिखित बहिस्राव मानकों के अनुरूप किया जाएगा। (2) तल धुलाई अपजल में कुल घुलित ठोस (TDS) की मात्रा अपरिष्कृत जल में TDS की मात्रा से 1000 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं होगी।	

2169 GI/11-2

		ङ. वर्षा जल
		टिप्पण: (1) वर्षा जल को मार्जक जल और/अथवा तलधुलाई अपजल के साथ मिलाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। (2) उद्योग की अंतसीमा के वर्षा जल को वर्षा के 10 मिनट की संग्रहण क्षमता (घंटे का औसत) के एच.डी.पी.ई. परत वाले गर्त के माध्यम से अलग नाली के द्वारा बहाया जाएगा।"

[फा. सं. क्यू-15017/07/2008-सी.पी.डब्ल्यू.]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844 (अ), 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे; और तत्पश्चात सं.का.आ. 443(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; और अभी हाल में सा.का.नि. 512 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794 (अ), तारीख 04 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 826 (अ), तारीख 16 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 01 (अ), तारीख 1 जनवरी, 2010; सा.का.नि. 61 (अ), तारीख 5 फरवरी, 2010; सा.का.नि. 485 (अ), तारीख 9 जून, 2010; सा.का.नि. 608 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2010; सा.का.नि. 739 (अ), तारीख तारीख 9 सितम्बर, 2010; सा.का.नि. 809 (अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2010 ; सा.का.नि. 215 (अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. 221 (अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. 354 , तारीख 2 मई, 2011; और सा.का.नि. 424(अ) तारीख 1 जून, 2011 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2011

G.S.R. 446(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Fifth Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I,-

(i) serial number 71 relating to 'Pesticides Industry' and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) serial number 101 relating to 'Incinerator for Pesticide Industry' and entries relating thereto shall be omitted; and

(iii) for serial number 40 relating to 'Pesticide Manufacturing and Formulation Industry' and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S.No.	Industry	Parameter	Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
		A. Emission Standards	
"40	Pesticide Industry		Limiting concentration in mg/Nm^3
		HCl	20
		Cl_2	5
		H_2S	5
		P_2O_5 as H_3PO_4	10
		NH_3	30
		Pesticides compounds in the form of particulate matter	20
		CH_3Cl	20
		HBr	5
		B. Effluent Standards	
			Limiting concentration in mg/l, except for pH and Bioassay test
		(i) Compulsory Parameters	
		pH	6.5-8.5
		BOD ,3days, 27^0C — Formulation unit	30
		BOD ,3days, 27^0C — Technical grade unit	100
		Oil and Grease	10
		Suspended Solids	100
		Bioassay Test	90 percent survival of fish after 96 hours in 100% effluent*

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ii) Additional Parameters	
		Arsenic (as As)	0.2
		Copper	1.0
		Manganese	1.0
		Mercury	0.01
		Antimony (as Sb)	0.1
		Zinc	1.0
		Nickel , etc.(heavy metals individually)	Shall not exceed individually 5 times the drinking water standards as per Bureau of Indian Standards
		Cyanide (as CN)	0.2
		Nitrate (as NO_3)	50
		Phosphate (as P)	5.0
		Phenol & Phenolic Compounds as C_6H_5OH	1.0
		Sulphur	0.03
		Benzene Hexachloride (BHC)	0.01
		Carbonyl	0.01
		Copper Sulphate	0.05
		Copper Oxychloride	9.6
		DDT	0.01
		Dimethoate	0.45
		2,4D	0.4
		Endosulfan	0.01
		Fenitothrion	0.01
		Malathion	0.01
		Methyl Parathion	0.01
		Paraquat	2.3
		Phenathoate	0.01
		Phorate	0.01
		Proponil	7.3
		Pyrethrums	0.01
		Ziram	1.0
		Other Pesticide (individually)	0.10
		*Bioassay Test shall be carried out as per IS: 6582-1971. Note: 1. The concerned State Pollution Control Board / Pollution Control Committee shall prescribe limits of Total Dissolved Solids (TDS), Sulphates and Chlorides depending on the usages of recipient water body in down stream, in which effluent shall be disposed off. 2. No limit for Chemical Oxygen Demand (COD) is prescribed but, COD in the treated effluent shall be monitored. If COD is persistently reported more than 250 mg/l, the industrial units discharging such an effluent shall be required to identify chemicals	

(1)	(2)	(3)	(4)

causing the same. In case, these are found to be toxic, as defined in Schedule I of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989, the concerned State Pollution Control Board/ Pollution Control Committee in such cases shall direct the industries to install tertiary treatment system by 31st March, 2012.

3. Parameters listed as "Additional Parameters" shall be prescribed depending upon the process and product, on a case to case basis.

C. Emission Standards for Incinerator

		Limiting concentration in mg/Nm^3, unless stated	Sampling Duration in minutes, unless stated
Particulate Matter		50	30 or more (for sampling of 300 litres of emission)
HCl		50	30
SO_2		200	30
CO		100	Daily average
Total organic Carbon		20	30
Total Dioxins and Furans *	Existing Incinerator	0.2 $ngTEQ/Nm^3$	8 hours
	New Incinerator	0.1 $ngTEQ/Nm^3$	8 hours
Sb +As + Pb + Cr + Co +Cu +Mn + Ni + V and their compounds		1.5	2 hours

* The existing plant shall comply with norms for Dioxins and Furans as 0.1 $ngTEQ/Nm^3$ by 18th August, 2013.

Note :

i. All monitored values shall be corrected to 11% oxygen on dry basis.

ii. The CO_2 concentration in tail gas shall not be less than 7%.

iii. In case, halogenated organic waste is less than 1% by weight in input waste, all the facilities in single chamber incinerators shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 1100°C in the incinerator. For fluidized bed technology based incinerator, temperature shall be maintained at 950°C.

iv. In case halogenated organic waste is more than 1% by weight in input waste, waste shall be incinerated only in twin chamber incinerators and all the facilities shall be designed to achieve a minimum temperature of 850±25°C in primary chamber and 1100°C in secondary combustion chamber with a gas residence time in secondary

(1)	(2)	(3)	(4)
		combustion chamber not less than two seconds. v. Scrubber meant for scrubbing emissions shall not be used as quencher. vi. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the incineration ash and residue less than 3%, and their loss on ignition is less than 5% of the dry weight. In case of non-conformity, ash and residue as the case may be, shall be re-incinerated. vii. The incinerator shall have a chimney of atleast thirty metres height.	
		D. Effluent from Incinerator	
		Note: (i) Effluent from scrubber (s) and floor washings shall flow through closed conduit or pipe network and be treated to comply with the effluent standards mentioned at 'B' above, read with Schedule VI : General Standards for Discharge of Environment Pollutions (Part A : Effluents) notified under the Environment (Protection) Rules, 1986. (ii) The built up in TDS in wastewater or floor washings shall not exceed 1000 mg/l over and above the TDS of raw water used.	
		E. Stormwater	
		Note: (i) Stormwater shall not be allowed to mix with scrubber water and/or floor washings. (ii) Stormwater shall be channelized through separate drains passing through a HDPE lined pit having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall.".	

[F. No. Q-15017/07/2008-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), 19th November, 1986; subsequently amended vide S.O. 433 (E), dated 18th April 1987; and recently amended vide G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March , 2009; G.S.R. 512(E), dated the 9th July, 2009;G.S.R. 543 (E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794 (E), dated the 4th November, 2009; G.S.R. 826 (E), dated the 16th November, 2009; G.S.R. 01 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R, 61(E), dated 5th February, 2010; G.S.R. 485 (E), dated 9th June, 2010; G.S.R 608 (E), dated 21st July, 2010; G.S.R 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R,809 (E), dated, 4th October, 2010; G.S.R. 215(E), dated, the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated, the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated, the 2nd May , 2011; and G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.